Awareness Camp at Rampur Bushahr

Luhri Power Project

(22.7.2024)

Awareness Program held at Rampur on 22-07-2024 by the Hon’ble Chairman of HPBOCW Welfare Board in the esteemed presence of local MLA cum Chairman , State Finance Commission Hon’ble Sh. Nand Lal Ji

श्रम विभाग कामगारों की समस्याओं को जल्द निपटाएं : नंदलाल

जागरूकता शिविर में सोलर लाईट प्रदान करते मुख्य अतिथि नंदलाल।

सवेरा न्यूज/ मीनाक्षी (रामपुर बुशहर) : हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा रामपुर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल ने की। मुख्य अतिथि द्वारा श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम, 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन मार्गों, सड़कों, सिंचाई जल निकास, तट बांध, बाढ़ नियंत्रण लाइनों टेलीफोन, तार तथा ओवरब्रिज, संचार माध्यमो व अन्य कार्यों के तहत कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते है। पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में कामगार की उम्र 18 से 60 वर्ष की मध्य होनी चाहिए तथा पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक भवन एवं निर्माण कार्य मे काम किया हो। पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम आधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति व राशन कार्ड, परिवार रजिस्ट्रर की प्रति जमा करनी होगी। उन्होंने श्रम कल्याण अधिकारी रामपुर से कहा कि श्रमिकों को मिलने वाले लाभ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाएं ताकि सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों से किसी भी कामगार को वंजित न रहना पड़े। इस अवसर पर अध्यक्ष श्रम कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश नर देव सिंह कंवर ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी कामगार को कोई भी समस्या हो तो वो अपनी समस्या को लेकर उनके पास आएं, ताकि उस समस्या का समय पर निदान हो सके। श्रमिकों की समस्याएं भी सुनी गई। साथ ही लाभार्थियों को सोलर लाईट भी प्रदान किए गए। इस मौके पर गौरा पंचायत के पूर्व प्रधान डीडी कश्यप, रामरत्न शर्मा, पंकज बराड़, श्रम कल्याण अधिकारी रामपुर विक्रम सिंह तथा श्रम विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

श्रम विभाग कामगारों की समस्याओं को जल्द निपटाएं

रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा रामपुर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल ने की। मुख्यअतिथि ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन मार्गों, सड़कों सिंचाई जल निकास, तट बांध, बाढ़ नियंत्रण लाइनों, टेलीफोन, तार तथा ओवरब्रिज, संचार माध्यमों व अन्य कार्यों के तहत कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं। पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में कामगार की उम्र 18 से 60 वर्ष की मध्य होनी चाहिए तथा पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक भवन एवं निर्माण कार्य मे काम किया हो। पजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम आधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति व राशन कार्ड, परिवार रजिस्ट्रर की प्रति जमा करनी होगी। उन्होंने श्रम कल्याण अधिकारी रामपुर से कहा कि श्रमिकों को मिलने वाले लाभ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाएं ताकि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों से किसी भी कामगार को वंजित न रहना पड़े। इस अवसर पर अध्यक्ष श्रम कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश नर देव सिंह कंवर ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी कामगार को कोई भी समस्या हो तो वे अपनी समस्या को लेकर मेरे पास आएं ताकि उस समस्या का समय पर निदान हो सके। इस अवसर पर श्रमिकों की समस्याएं भी सुनी गईं। साथ ही लाभार्थियों को सोलर लाइट भी प्रदान किए गए। इस मौके पर गौरा पंचायत के पूर्व प्रधान डीडी कश्यप, रामरत्न शर्मा, पंकज बराड़, श्रम कल्याण अधिकारी रामपुर विक्रम सिंह तथा श्रम विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

रामपुर में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने जागरूकता शिविर का किया आयोजन

संतोष शर्मा । रामपुर बुशहर

हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा रामपुर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग नंद लाल ने बतौर मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने श्रमिकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन मार्गो ,सड़को सिंचाई , जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंतरण लाइनों , टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज, संचार माध्यमो व अन्य कार्य जो कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते है। पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा पिछले 12 माह में काम से कम 90 दिन तक भवन एवं निर्माण कार्य में काम किया हो । पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम आधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड सहित राशन कार्ड परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो प्रस्तुत करनी होगी। उन्होने श्रम कल्याण अधिकारी रामपुर से कहा कि श्रमिकों को मिलने वाले लाभ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाएं ताकि उन्होने सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों से वंचित न रहना पडे । इस अवसर पर अध्यक्ष श्रम कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश नर देव सिंह कवर ने कहा कि किसी भी कामगार को कोई भी समस्या हो तो अपनी समस्या को लेकर मेरे पास आए ताकि आपकी समस्या का समय पर निदान हो सके।इस अवसर पर श्रमिको की समस्याओं को भी सुना गया तथा लाभार्थियों को सोलर लालटेन भी प्रदान किये गये । इस अवसर पर बी. डी. सी. अध्यक्ष आशीष कैथ व श्रम कल्याण अधिकारी रामपुर विक्रम सिंह तथा श्रम विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

Gist of awareness Programme

- Sh. Nardev Singh Kanwar, Hon'ble Chairman Himachal Pradesh Building & Other Construction Workers Welfare Board who was on field visits a reached on 22-7-2024 at Rampur and received grand welcome at Rampur headed by Labour Welfare Officer of Rampur and his team.
- Sh Kanwar was also accompanied by the Hon'ble Member of Vidhan Sabha from Rampur cum-Chairman of 14th State Finance Commission Sh. Nand Lal Jee. The awareness programme was also attended by the various representatives of NSUI, Zila Parishad, Kisaan Morcha, Local Pradhans, Ward members and the beneficiaries of building and Construction welfare board.
- While addressing the common people and the beneficiaries of the board, Sh. Nardev Singh Kanwar briefed the gathering about 13 different social welfare schemes being implementing by the board for its beneficiaries under the able leadership of hon'ble Chief Minister of Himachal Pradesh. He also urged the Honble Member of Legislative assembly from Rampur sh. Nanad Lal and representatives People of all political background to spread the awareness to these schemes of the board aiming to provide benefits to the needy and eligible construction workers engaged in construction activities.
- During awareness program Sh. Nand Lal jee laid emphasis to initiate adequate efforts to spread the awareness of vision/mission of building and other construction boar and assured to provide all possible support in Rampur area. Sh. Nardev Singh Kanwar made one by one interaction with the beneficiaries also heard the problems of field staff as well as the beneficiaries of board. Mr. Kanwar assured to resolve all the genuine issues for the interests of construction workers as it is the **priorities of Hon'ble Chief minister of Himachal Pradesh** too to increase outreach on the genuine and eligible beneficiary sitting of last bench. He further added that has himself is on the ground to identify and resolve the common problems of construction workers and in his short span of time working a chairman of board financial assistance around 7 crores has been transferred to the registered workers of the board.
- On closure of function 14 beneficiaries received solar larten in kind item in pursuance to the decision of board of directors 44th BOD meeting held under the **chairmanship of Sh. Sukhvinder Singh Sukhu Ji, the then chairman of the board.**

Following people made interactions with the Chair.

Sr. No.	Name	Issues raised
1.	Sh. Roshan Lal mobile No. -98163-42217	Regarding release of MNREGA Claims of previous years
2	Smt. Kanta mobile No. -76499-26808	
3	Sh. Lal Chand , Ex pradhan Mobile No. 94184-71882	The scope of 90 days employment condition for registration as beneficiary of HPBOCW Board.
4	Smt. Kanta Devi, Nirmand Mobile No. -85804-63091	Issue relating to pending education claims
5	Smt. Babo , 62300-60415	
6	Smt. Bimala Devi -97365-13057	Regarding non getting of pension due to non providing of live certificate
7	Smt. Pappi Bisht- 98169-97373	To regularize the staff of BOCW working on outsourced basis.

Conclusion:

Hon'ble Chairman of the board assured general public and the beneficiaries to dispose of the matter of public interest on priorities in accordance with the rules and regulations as it is the aim of Hon'ble Chief Minister of HP to extend the outreach of board activities to the genuine and needy workers at the grass route.

जागरूकता कार्यक्रम का सार

- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माननीय अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर, जो क्षेत्र के दौरे पर थे, 22-7-2024 को रामपुर पहुंचे और रामपुर के श्रम कल्याण अधिकारी और उनकी टीम की अध्यक्षता में रामपुर में उनका भव्य स्वागत किया गया।
- श्री कंवर के साथ रामपुर से विधान सभा के माननीय सदस्य सह-14वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। नन्द लाल जी. जागरूकता कार्यक्रम में एनएसयूआई, जिला परिषद, किसान मोर्चा के विभिन्न प्रतिनिधियों, स्थानीय प्रधानों, वार्ड सदस्यों और भवन एवं निर्माण कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों ने भी भाग लिया।
- आम जनता एवं बोर्ड के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए श्री. नरदेव सिंह कंवर ने सभा को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में बोर्ड द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए कार्यान्वित की जा रही 13 विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने रामपुर के माननीय विधान सभा सदस्य से भी आग्रह किया। ननद लाल और सभी राजनीतिक पृष्ठभूमि के प्रतिनिधियों ने निर्माण गतिविधियों में लगे जरूरतमंद और पात्र निर्माण श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बोर्ड की इन योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई।
- जागरूकता कार्यक्रम के दौरान श्री. नंद लाल जी ने भवन और अन्य निर्माण के दृष्टिकोण/मिशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पर्याप्त प्रयास शुरू करने पर जोर दिया और रामपुर क्षेत्र में हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। श। नरदेव सिंह कंवर ने लाभार्थियों से एक-एक कर बातचीत की और मैदानी अमले के साथ-साथ बोर्ड के लाभार्थियों की समस्याएं भी सुनीं। श्री कंवर ने निर्माण श्रमिकों के हितों के लिए सभी वास्तविक मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया क्योंकि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की भी प्राथमिकताएं हैं कि अंतिम पीठ के वास्तविक और योग्य लाभार्थी तक पहुंच बढ़ाई जाए। उन्होंने आगे कहा कि निर्माण श्रमिकों की आम समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए वे स्वयं

मैदान में हैं और बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए अपने अल्प समय में उन्होंने बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को लगभग 7 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की है।

- समारोह के समापन पर माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित निदेशक मंडल की 44वीं बीओडी बैठक के निर्णय के अनुसरण में 14 लाभार्थियों को वस्तु मद में सोलर लार्टन प्राप्त हुए ।

निम्नलिखित लोगों ने माननीय अध्यक्ष के साथ बातचीत की।

1.	श्री. रोशन लाल मोबाइल नंबर - 98163-42217	पिछले वर्षों के मनरेगा दावे जारी करने के संबंध में
2.	श्रीमती कांता मोबाइल नंबर-76499-26808	
3.	श्री. लाल चंद, पूर्व प्रधान मोबाइल नंबर 94184-71882	HPBOCW बोर्ड के लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए 90 दिनों की रोजगार शर्त का दायरा
4.	श्रीमती कांता देवी, निरमंड मोबाइल नंबर -85804-63091	लंबित शिक्षा दावों से संबंधित मामला
5.	श्रीमती बाबो, 62300-60415	जीवित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण पेंशन न मिलने के संबंध में
6.	श्रीमती बिमला देवी -97365-130577	
7.	श्रीमती पप्पी बिष्ट- 98169-97373	आउटसोर्स आधार पर कार्यरत बीओसीडब्ल्यू के कर्मचारियों को नियमित करने हेतु।

निष्कर्ष:

बोर्ड के माननीय अध्यक्ष ने आम जनता और लाभार्थियों को नियमों और विनियमों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर जनहित के मामलों का निपटारा करने का आश्वासन दिया क्योंकि बोर्ड की गतिविधियों का वास्तविक और जरूरतमंद श्रमिकों के लिए विस्तार जमीनी स्तर पर करना हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य है।